

2018/00/03 - 1

57 108/18 काफ
दि 8-5-18

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
फूलियाकला (भीलवाड़ा)

विषय:- जाति संशोधन नाम चमार के बजाय बैरवा दर्ज करवाने बाबत ।
महोदयजी, प्रार्थनापत्र अर्थात् धारा 130 LRA

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी राम पिता राज
जाति बैरवा निवासी कोटा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा का रहने वाला हूँ। प्रार्थी की जाति ग्राम
कोटा चमार मण्डल कोटा के खाता संख्या 130, 131 में चमार दर्ज है, जबकि मेरी वास्तविक जाति
बैरवा है।

राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.05(8) राज-प./83/राज-6/96/जयपुर दिनांक 01-11-1996 से
जाति शुद्धि करने के स्पष्ट आदेश है। अतः प्रार्थी की जाति राजस्व रिकॉर्ड में चमार के बजाय बैरवा दर्ज
करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

राज
दि
8.5.18

प्रार्थी

(राम)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड श्री राम पिता राज का ग्राम कोटा कोटा
के खाता संख्या 130, 131 में जाति चमार दर्ज है, जबकि आवेदक की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः प्रार्थी
की जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश फरमाने की कृपा करें।

राम
पटवारी मुख्यालय
प.05/0. प.
कला

राम
भू.अ.नि. 8-5-18
वृत्त कोटा

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. के प्रार्थी श्री राम पिता राज का ग्राम कोटा
के खाता संख्या 130, 131 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने की सिफारिश की
जाती है।

राजस्व लोक अदालत अभियान
"न्याय आपके द्वार-2018"

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
फूलियाकला, जिला-भीलवाड़ा
दि 8-5-18

57-108/18 काफ

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार शाहपुरा की अभिषंशा के प्रार्थी श्री
राम पिता राज की वास्तविक जाति बैरवा है। अतः ग्राम कोटा प.05/0. कोटा
के खाता संख्या 130, 131 में जाति चमार के बजाय बैरवा करने का आदेश दिया जाता है।
अतः तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावे।



राम
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी
राजस्व लोक अदालत
फूलियाकला
फूलियाकला, जिला-भीलवाड़ा